न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 05/2024

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/41

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 23–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा की जाँच दिनांक 10.11.2017 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 230.47 क्विं. गेहूँ मे से 40 क्विं. गेहूँ अस्थाई वितरण व्यवस्था हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार जयराम/ खीमजी ग्राम पंचायत गोदावाडा भाग प्रथम (पोस कोड 6367) को सुपुर्द किये गये। इस प्रकार डीलर द्वारा अवशेष 190.47 क्विं. गेहूँ सुपुर्द नही कर हस्तान्तरण नही कर खाद्यान्न खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया। अप्रार्थी डीलर ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 17सी व 18 का उल्लंघन किया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर नाथु/ वारजी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1418/2008 को निलम्बित किया गया एवं प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.12.2021 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। साथ ही डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (सं.0138 दिनांक 06.04.2022) पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने ग्राम पंचायत सागवा भाग प्रथम पोस कोड 6400 का कुल 191.47 क्विं गेहूँ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

गबन किया है। उक्त 191.47 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 5,16,969/– रु. बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 5,16,969/– रुपया श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा से वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रुपया 5,16,969/– वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी पेशी दिनांक 07.08.2024, 28.08.2024, 11.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हाने व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 23–10–2024 को विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी डीलर ने ग्राम पंचायत सागवा भाग प्रथम पोस कोड 6400 का कुल 191.47 क्विं गेहूँ का गबन किया है। उक्त 191.47 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 5,16,969/– रु. बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 5,16,969/– रुपया श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा से वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा की जाँच दिनांक 10.11.2017 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 230.47 क्विं. गेहूँ मे से 39 क्विं. गेहूँ अस्थाई वितरण व्यवस्था हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार जयराम [illegible] ग्राम पंचायत गोदावाडा भाग प्रथम (पोस कोड 6367) को सुपुर्द किये गये। इस प्रकार डीलर द्वारा [illegible] 191.47 क्विं. गेहूँ सुपुर्द नही कर हस्तान्तरण नही कर खाद्यान्न खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जाता है। उक्त 191.47 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 5,16,969/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री नाथु/ वारजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सागवा, भाग प्रथम, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 190.47 क्विं. गेहूँ की राशि रु. 5,16,969/– अक्षरे रुपया पाँच लाख सोलह हजार नौ सौ उन्हत्तर की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested